

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 17 / 2024-25

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
12/12/24	आवेदक बिशुन भगत, पिता स्व० सनी भगत, जाति उराँव, ग्राम लुगंटू, पो० लुगंटू, बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लुगंटू</td><td>148</td><td>117</td><td>1181</td><td>1.36 एकड़ में से 0.25 एकड़</td><td>टांड</td></tr> </tbody> </table> कुल 0.25 (पच्चीस डिसमील) प्लॉट सं० 1181 का चौहदी :- उत्तर में - डेले उराँव का मकान, दक्षिण में - पक्का सड़क, पुरब में - कच्चा सड़क, पश्चिम में - पक्का सड़क एवं डेबरा उराँव का टांड जमीन विक्रेता का विवरणी बिशुन भगत, पिता स्व० सनी भगत, जाति उराँव, ग्राम लुगंटू, पो० लुगंटू, थाना - बसिया, जिला-गुमला जमीन क्रेता का विवरणी हेमंत उराँव, पिता नारायण उराँव, जाति उराँव, ग्राम बनतरिया, थाना - बसिया, जिला - गुमला।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	लुगंटू	148	117	1181	1.36 एकड़ में से 0.25 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
लुगंटू	148	117	1181	1.36 एकड़ में से 0.25 एकड़	टांड									



(Handwritten signature)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता हेमंत उरॉव, पिता नारायण उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम बनतरिया, थाना - बसिया, जिला- गुमला से राशि 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है।

आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 545 दिनांक 21/10/2024 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक बिशुन भगत, पिता स्व० सनी भगत, जाति उरॉव, ग्राम लुगंटू, पो० लुगंटू, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोदानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।



12.12.24
भूमि सुधार उप - समाहर्ता
बसिया (गुमला)